



2026:AHC:23-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 28263/2025

श्रीमती सोनी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : गिरीश प्रताप सिंह, मनीष नाथ त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रभाकर दुबे

सुरक्षित

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

i. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को ताला खोलने और याचिकाकर्ता को उसके संयुक्त पैतृक घर का कब्जा वापस दिलाने का आदेश दिया जाए।

ii. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 और 7 के खिलाफ विधि के शासन को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले के तथ्य

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके ससुर गेलहारी, भूखंड संख्या 211, क्षेत्रफल 0.431 हेक्टेयर के सह-किरायेदार थे। उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता के पति श्यामजी, उनके भाई प्रेमजी, रामजी और लालजी तथा उनकी माता शिवधारी देवी का नाम उनके स्थान पर संबंधित खतौनी में दर्ज किया गया। अपने जीवनकाल में, उन्होंने उक्त भूखंड पर एक दो मंजिला इमारत का निर्माण किया, जिसका बंसी-दांडी रोड पर 20 फीट का अग्रभाग और 68 फीट की चौड़ाई है। भूतल पर, दो दुकानें हैं, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 9 फीट है और एक 6 फीट चौड़ी गैलरी है, जो घर के शेष भाग के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। एक दुकान में, याचिकाकर्ता एक ब्यूटी पार्लर चला रही है और इस व्यवसाय से होने वाली आय ही याचिकाकर्ता और उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। याचिकाकर्ता के पति श्यामजी और उनके छोटे भाई प्रेमजी दुर्भाग्यवश प्रतिवादी संख्या 8 की बुरी संगत में पड़ गए और उसके साथ शराब पीने लगे। प्रतिवादी संख्या 8 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पेशकार है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, उसने अविभाजित आवासीय मकान के एक हिस्से (सामने से 10 फीट और चौड़ाई में 68 फीट) के लिए 14.2.2024 की तिथि का विक्रय विलेख अपने नाम करवा लिया।

3. यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने उक्त आवासीय मकान के एक विशिष्ट भाग के लिए उक्त विक्रय विलेख प्राप्त किया, यह जानते हुए कि उक्त मकान का सह-मालिकों के बीच कभी कोई विभाजन या बंटवारा नहीं हुआ था और सभी सह-मालिकों के परिवार उसी मकान में रह रहे थे। 13.1.2025 को, प्रतिवादी संख्या 5, तहसीलदार, तहसील बंसी, जिला सिद्धार्थ नगर, पुलिस बल और प्रतिवादी संख्या 8 के साथ याचिकाकर्ता के घर पहुंचे और उसे मकान खाली करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह मकान उसका पैतृक मकान है, जिसमें वह अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ रह रही हैं। जब प्रतिवादी संख्या 8 बलपूर्वक कब्जा लेने के अपने प्रयास में विफल रहा, तो उसने याचिकाकर्ता, उसके पति अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



श्यामजी और उसके भाई प्रेमजी के विरुद्ध मूल वाद संख्या 49/2025 दायर किया, जिसमें उसने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, जिसमें प्रतिवादियों को 14.02.2024 की विक्रय विलेख के माध्यम से कथित रूप से खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा करने से, उक्त मकान का ताला तोड़ने से, उस पर निर्माण करने से और उसके कथित कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश मांगा गया था। उल्लेखनीय है कि अन्य तीन सह-भागीदारों को उक्त मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

4. 27.1.2025 को, जिस दिन मुकदमा दायर किया गया था, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने प्रतिवादियों को समन जारी किया और लिखित बयान दाखिल करने के लिए 24.2.2025 और मुद्दों को तय करने के लिए 6.3.2025 की तारीख तय की। उसी तारीख को, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी की, जिसमें प्रतिवादियों को वादी के कथित कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय विलेख के अनुसार कभी भी वाद संपत्ति का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था। हालांकि, अवर न्यायालय ने कब्जे के मुद्दे पर कोई जांच किए बिना और किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में भी, जल्दबाजी में उक्त एकतरफा निषेधाज्ञा जारी कर दी।

5. चूंकि प्रतिवादी संख्या 8 कब्जे में नहीं था, इसलिए उसने पूर्व नियोजित योजना के तहत 16.5.2025 को पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ नगर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद ताला तोड़कर जबरन घर पर कब्जा कर लिया है। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और मुकदमे के अन्य प्रतिवादियों ने मार्च के अंत तक घर खाली करने पर सहमति जताई थी; हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बावजूद, वे ऐसा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे प्रतिवादी संख्या 8 को मुकदमे की संपत्ति का कब्जा सौंपना सुनिश्चित करें।

6. यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने द्वारा दायर पूरक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उक्त आवेदन वास्तव में 4.5.2025 को प्रस्तुत किया गया था, न कि 16.05.2025 को, जैसा कि पहले बताया गया था। पुलिस अधीक्षक ने उक्त आवेदन को 16.5.2025 को खेसरहा पुलिस स्टेशन, जिला सिद्धार्थ नगर के प्रभारी निरीक्षक को चिह्नित किया था, और इसलिए उक्त तिथि का उल्लेख साकारपार चौकी प्रभारी, खेसरहा पुलिस स्टेशन, जिला सिद्धार्थ नगर द्वारा 28.5.2025 को उप-विभागीय अधिकारी, बंसी, जिला सिद्धार्थ नगर को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में दिनांक 27.1.2025 के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद, उन्हें घर का कब्जा नहीं मिल सका है और श्यामजी और उनके परिवार के सदस्य अभी भी उस पर कब्जा किए हुए हैं। रिपोर्ट में आगे दिनांक 16.5.2025 को प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ नगर को उक्त मकान का कब्जा सौंपने हेतु प्रस्तुत आवेदन का उल्लेख है। इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त मकान के संबंध में प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा श्यामजी के विरुद्ध सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की न्यायालय में मूल वाद संख्या 49/2025 दायर किया गया है, और उक्त वाद में दिनांक 27.1.2025 को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई थी। उपरोक्त के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 8 को मकान का कब्जा सौंपने के उद्देश्य से अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित करने की सिफारिश की गई थी। इस आवेदन पर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 25.6.2025 के आदेश द्वारा तहसीलदार को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित करने और मामले का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, तहसीलदार ने 2.7.2025 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को उक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया, और इसके आगे, नायब तहसीलदार ने 8.7.2025 के आदेश द्वारा राजस्व अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, तहसीलदार, तहसील बंसी, जिला सिद्धार्थ नगर ने पत्र संख्या 121/Ra.Li/2025-26 दिनांक __.07.2025 द्वारा, कब्जे की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व टीम के गठन को मंजूरी दी, जो कि मूल वाद संख्या 49/2025 में ट्रायल न्यायालय के दिनांक 27.1.2025 के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के अनुपालन में किया गया था।

7. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उपर्युक्त निर्देशों के आधार पर, दो पुलिस थानों से भारी पुलिस बल और नायब तहसीलदार, खेसराहा और राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्व दल, पाँच लेखपालों के साथ, 18.7.2025 को याचिकाकर्ता के घर पहुँचे। याचिकाकर्ता को उसके तीन बच्चों (उम्र 8 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष) सहित जबरन गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में हिरासत में रखा गया। राजस्व अधिकारियों और पुलिस ने याचिकाकर्ता द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर में रखे सभी सामान को जबरन बाहर फेंक दिया। इसके बाद, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 8 को घर पर ताला लगाने की अनुमति देकर घर का कब्जा सौंप दिया। याचिकाकर्ता को मूल मुकदमे में पारित 27.1.2025 के अंतरिम आदेश की पूर्व सूचना नहीं थी। 18.7.2025 को, जब उन्हें जबरन बेदखल किया गया, तब राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के बारे में सूचित किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें मुकदमे की कोई जानकारी भी नहीं थी। बेदखल होने के बाद, उन्होंने 18.7.2025 और 19.7.2025 को सिद्धार्थ नगर के जिला मजिस्ट्रेट से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मिलने में सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें यह रिट याचिका दायर करने के लिए विवश होना पड़ा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. रिट याचिका की पहली सुनवाई की तारीख, यानी 22.8.2025 को, प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्व अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम गठित करने के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सौंपा गया था, यह कार्रवाई उस आदेश के आधार पर की गई थी जो कथित तौर पर ट्रायल न्यायालय द्वारा 5.2.2025 को प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत दायर आवेदन पर पारित किया गया था। उक्त आदेश इस प्रकार है:

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी० सी० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित मकान में जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया है, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

सूना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किया गया है, इसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति में जबरन कब्जा कर लिया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मामला अर्जेंट है। ऐसे में थानाध्यक्ष खेसरहा को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक को 72 पर सुनवायी हेतु पेश हो।

9. मामले के तथ्यों और प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, 22.8.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

“1. अधिवक्ता श्री प्रभाकर दुबे प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से उपस्थित हुए हैं।

2. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि यह मामला विधि की प्रक्रिया और राज्य की प्रशासनिक शक्तियों का घोर दुरुपयोग है।

3. इससे पहले कि हम प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किए अनुसार गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करें, उन्हें अपने निर्देश पूर्ण करने के लिए समय दिया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. हम सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बंसी, सिद्धार्थ नगर से भी अनुरोध करते हैं कि वे मूल वाद संख्या 49/2025 में दिनांक 05.02.2025 को उनके द्वारा पारित आदेश के तरीके के संबंध में जिला न्यायाधीश के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें।

5. रजिस्ट्रार जनरल इस आदेश की सूचना जिला न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर को तत्काल अनुपालन के लिए भेजें।

6. इसे दिनांक 25.08.2025 को नए सिरे से सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए।

10. उक्त आदेश के अनुसरण में, श्री पंकज, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), जिन्होंने समय-समय पर इस मुकदमे में विभिन्न आदेश पारित किए थे, ने जिला न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है:

प्रेषक,

सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम०

बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश

जनपद सिद्धार्थनगर।

विषय: अर्धशासकीय पत्र संख्या 88/2025 दिनांकित 22.08.2025 एवं रिट सी० नं० 28263/2025 श्रीमती सोनी प्रति उ०प्र० सरकार व सात अन्य के अनुपालन के संबंध में आख्या।

महोदय,

अति विनम्र निवेदन है कि मूल वाद संख्या 49/2025 संदीप गुप्ता बनाम श्यामजी आदि में वादी संदीप गुप्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम० बांसी, सिद्धार्थनगर में दिनांक 27.01. 2025 को वाद दायर किया गया एवं न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम० बांसी, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27.01.2025 को प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में खसरा खतौनी एवं पंजीकृत बैनामा के आधार पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया गया तथा प्रतिवादीगण / प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया।

दौरान मूलवाद सुनवायी वादी द्वारा दिनांक 05.02.2025 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दाखिल किया गया। जिसमें वादी द्वारा यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण / प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 27.01. 2025 अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, तथा संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम निखिल एन. गुप्ता, (2015) 10 एससीसी 139 , 2. श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 (2) एएलजे 187 (एआईआई) (डीबी) 3. श्रीमती जगन्नाथिया बनाम उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राज्य] 2006 (64) एएलआर 330 (एआईआई) (डीबी) दिनांक 05.02.2025 को वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया कि वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27. 01.2025 का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 27.01.2025 किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा उस समय उपलब्ध परिस्थितियों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की प्रभावशाली बनाये रखने तथा संभावित विघटन एवं विवाद की स्थिति को टालने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली में विगत कई तिथि व्यतीत हो जाने पर भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही प्रतिवादीगण द्वारा आज तक पत्रावली पर अपना जवाबोत्तर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल किया गया है। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 के गुण दोष पर निस्तारण हेतु दिनांक 10.10.2025 नियत है

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित ।

दिनांक 22.08.2025

भवदीय

सिविल जज जू० डि० जे० एम०

बांसी. जनपद सिद्धार्थ नगर ।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. प्रतिवादी संख्या 8 ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में स्वच्छ नीयत से याचिका दायर नहीं की है। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में गलत तरीके से कहा है कि प्रतिवादी संख्या 8 मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ नगर की न्यायालय में रीडर के पद पर तैनात थे, जबकि उनके अनुसार सही स्थिति यह है कि वे कॉपींग सेक्शन में क्लर्क के पद पर तैनात थे। उन्होंने न्यायाधीश से किसी भी प्रकार के घनिष्ठ संबंध होने से इनकार किया है। गुण-दोष के आधार पर, यह निवेदन किया जाता है कि संपत्ति गेलहारी की थी और उनकी मृत्यु के बाद, यह पाँच व्यक्तियों को हस्तांतरित हो गई। आरोप है कि इसके बाद परिवार के सदस्यों के बीच एक मौखिक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दो भाइयों ने 14.2.2025 को अपने हिस्से के संबंध में प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया। आगे यह दावा किया गया है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के समय उन्हें कब्जा भी सौंप दिया गया था और उन्होंने उस कमरे पर ताला लगा दिया था जो कथित तौर पर उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति के हिस्से में बनाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 8 संत कबीर नगर जिले का स्थायी निवासी है और विवादित मकान में स्थायी रूप से नहीं रह रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता और अन्य सह-मालिकों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए ताला तोड़ दिया और कथित तौर पर उसके कब्जे वाले कमरे में जबरन प्रवेश किया, जिससे उसे प्रतिवादियों को उसके कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवर न्यायालय ने 27.1.2025 को उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। आरोप है कि उक्त निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2.2.2025 को ताला तोड़ दिया, जिससे प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा बहाल करने के लिए अवर न्यायालय में 5.2.2025 को आवेदन करना पड़ा। अवर न्यायालय ने तदनुसार 5.2.2025 को आदेश पारित किया, जिसमें एसएचओ, खेसरहारा, सिद्धार्थ नगर को प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में कब्जा बहाल करना सुनिश्चित करने और तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में, खेसरहारा पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने 7.2.2025 को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 8 को संपत्ति का कब्जा वापस अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सौंप दिया गया है और उसने परिसर पर ताला लगा दिया है। अनुपालन रिपोर्ट के साथ, संबंधित रिपोर्टों और प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की गईं, जिनके अनुसार संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी संख्या 8 को विधिवत सौंप दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 8 का आगे का मामला यह है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। परिणामस्वरूप, इस बार उसने सीधे तहसील अधिकारियों से कब्जा सौंपने का अनुरोध किया, जिस पर उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने 28.5.2025 के आदेश द्वारा तहसील अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद, एक टीम का गठन किया गया और 20.7.2025 को प्रतिवादी संख्या 8 को फिर से कब्जा सौंप दिया गया और इस संबंध में एक मौके पर ज्ञापन तैयार किया गया।

12. इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 8 का कहना है कि उसने जबरदस्ती कब्जा नहीं लिया है, बल्कि कानून के अनुसार ही कब्जा लिया है। यह भी दावा किया गया है कि उसे मकान के केवल 10 फीट x 15 फीट भाग का कब्जा दिया गया है और शेष भाग अन्य सह-भागीदारों के कब्जे में है। प्रतिवादी संख्या 8 के अनुसार, याचिकाकर्ता दीवानी मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक है और उसके पास अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय है। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

13. हालांकि, याचिकाकर्ता ने एक प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने पुनः पुष्टि की है कि प्रतिवादी संख्या 8 का जिला न्यायालय व्यवस्था में काफी प्रभाव है। यह कहा गया है कि पूछताछ करने पर, उन्हें पता चला कि प्रतिवादी संख्या 8 पहले मुंसिफ न्यायालय में पेशकार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के रूप में कार्यरत थीं, और उसके बाद उनका तबादला पीओसीएसओ न्यायालय में पेशकार के रूप में कर दिया गया था, और वर्तमान में वे कॉपींग अनुभाग में कार्यरत हैं। यह दोहराया गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 कभी भी मकान के किसी भी हिस्से पर कब्जे में नहीं थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 8 को अच्छी तरह से पता था कि विचाराधीन संपत्ति एक आवासीय मकान है, जिसमें पांच सह-भागीदारों के परिवार रह रहे हैं और उनके संबंधित हिस्सों का कोई भौतिक विभाजन नहीं हुआ है।

14. यह पुनः दोहराया गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा स्थापित मामला, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-भागीदारों ने दो बार ताला तोड़कर कब्जा कर लिया, स्पष्ट रूप से झूठा है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने विक्रय विलेख के आधार पर पैतृक संपत्ति के किसी भी भाग पर कभी भी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, 27.1.2025 के एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश की आड़ में, प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से पहली बार 18.7.2025 को कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, न कि किसी पूर्व-मौजूद वैध कब्जे के आधार पर। यह भी कहा गया है कि मूल वाद संख्या 49/2025, गेलहारी की विधवा शिवधारी द्वारा विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया है और उक्त दीवानी मुकदमा वर्तमान में लंबित है। यह निवेदन किया जाता है कि सिविल न्यायालय के किसी नए आदेश के अभाव में, जिसमें राजस्व अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया हो, प्रशासनिक अधिकारियों को दिनांक 26.05.2025 के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था। दिनांक 26.05.2025 के उक्त आवेदन के आधार पर, दिनांक 27.01.2025 के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के निष्पादन की आड़ में, याचिकाकर्ता को बेदखल करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें:

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि :-

(क) प्रशासनिक अधिकारियों के पास प्रतिवादी संख्या 8 को संपत्ति का कब्जा दिलाने के उद्देश्य से कोई संयुक्त टीम गठित करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं था। अधिकारी के पत्र संख्या 121 दिनांक 25 जुलाई के आदेशानुसार गठित संयुक्त टीम द्वारा की गई पूरी कार्रवाई विधिवत नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(ख) अवर न्यायालय ने अंतरिम एकतरफा निषेधाज्ञा जारी करने में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया, यह सुनिश्चित किए बिना कि वादी (प्रतिवादी संख्या 8) वास्तव में वाद संपत्ति पर भौतिक रूप से कब्जा रखता था। फिर, अवर न्यायालय ने धारा 151 सीपीसी के तहत कब्जा बहाल करने के आवेदन पर विचार करने में गलती की, पहली बात तो यह कि मामले में निर्धारित तिथि पर नहीं, और दूसरी बात, याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किए बिना और कोई जांच किए बिना उसी तिथि पर इसे स्वीकार कर लिया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ऐसे गंभीर दीवानी परिणामों वाले आदेश को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जा सकता था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ग) प्रतिवादी संख्या 8 को कब्ज़ा सौंपने का ट्रायल न्यायालय का कोई आदेश नहीं था, जिसके आधार पर 25 जुलाई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राजस्व टीम का गठन किया जा सकता था।

(घ) प्रतिवादी संख्या 8 कभी भी संपत्ति के किसी भी परिभाषित या सीमांकित हिस्से पर कब्ज़ा नहीं कर सकता था, और न ही कभी उस पर कब्ज़ा कर सकता था, क्योंकि संपत्ति अविभाजित है। इसके अलावा, प्रति हलफनामे में लिया गया रुख असंगत है और प्रतिवादी संख्या 8 के इस दावे को झूठा साबित करता है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-हिस्सेदारों द्वारा उसे दो बार बेदखल किया गया था।

(ङ) ट्रायल न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में कई आदेश पारित किए, इस तथ्य से प्रभावित होकर कि वह जिला न्यायालय का कर्मचारी था और विभिन्न न्यायालयों में पेशकार के रूप में कार्य करता था। परिणामस्वरूप, पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है।

16. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) प्रतिवादी संख्या 8 को मकान के उस हिस्से का कब्जा विधिवत सौंप दिया गया था, जिसके संबंध में विक्रय विलेख उनके पक्ष में निष्पादित किया गया था, और विक्रय विलेख के निष्पादन के समय विक्रेता उस हिस्से पर वास्तविक रूप से मौजूद थे।

(ii) याचिकाकर्ता और अन्य सह-भागीदारों ने दो बार ताले तोड़कर प्रतिवादी संख्या 8 को बेदखल करने में सफलता प्राप्त की, इसलिए अवर न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके कब्जे की रक्षा करने और यथास्थिति बहाल करने के आदेश उचित रूप से पारित किए हैं।

(iii) याचिकाकर्ता के पास अवर न्यायालय में उचित आवेदन प्रस्तुत करके अस्थायी निषेधाज्ञा को रद्द करने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

17. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और लिखित दलीलों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अध्ययन किया है।

चर्चा एवं विश्लेषण:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के ससुर गेलहाई, कई अन्य व्यक्तियों के साथ, प्लॉट संख्या 211 (क्षेत्रफल 0.4310 हेक्टेयर) के सह-किरायेदार थे। यह भी स्वीकार किया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद, संयुक्त जोत में उनका हिस्सा उनके चार पुत्रों, अर्थात् श्यामजी, प्रेमजी, रामजी, लालजी और उनकी पत्नी शिवधारी देवी को मिला। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, यद्यपि गेलहाई की मृत्यु के बाद, उनके सभी वारिसों के नाम उनके स्थान पर दर्ज किए गए, लेकिन उनके संबंधित हिस्सों का कोई भौतिक विभाजन नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा मौखिक समझौते के निराधार दावे के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, मुकदमे में ऐसा कोई मामला नहीं उठाया गया है और न ही प्रतिवादी संख्या 8 ने कभी यह दावा किया है कि उनके विक्रेता हस्तांतरित की जा रही संपत्ति के हिस्से के अनन्य स्वामी थे। विक्रय विलेख में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल, विक्रय विलेख में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि संपत्ति का कोई विशिष्ट भाग किस प्रकार बेचा जा रहा है।

19. याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला यह है कि मकान सभी सह-किरायेदारों के संयुक्त कब्जे में रहा है। वह अपने तीन बच्चों के साथ उसमें रहती है। भूतल पर स्थित दो दुकानों में से एक उसके कब्जे में थी, जहाँ से वह एक ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का पति शराबी है, इसलिए वह उपरोक्त दुकान से चलाए जा रहे व्यवसाय से परिवार का भरण-पोषण करती है। प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने द्वारा दायर प्रति-हलफनामे में इस बात से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता भूतल पर स्थित दुकानों में से एक से ब्यूटी पार्लर चला रही थी। उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर बेदखल किया गया था और अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवर न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए थी।

20. वर्तमान कार्यवाही, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता और उसके परिवार को बेदखल किया गया है, प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दिनांक 04.05.2025 को पुलिस अधीक्षक, जिला सिद्धार्थ नगर के समक्ष दायर किए गए एक आवेदन से शुरू हुई। उक्त आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 8 ने दावा किया है कि उसने 0.4310 हेक्टेयर में से 0.0063197 हेक्टेयर का एक छोटा सा हिस्सा, गटा संख्या 211 का, जिस पर एक आवासीय भवन मौजूद था, श्यामजी और प्रेमजी से दिनांक 14.02.2024 के विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा था। उक्त लेन-देन के आधार पर, उसका नाम 27.04.2024 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। यह भी कहा गया है कि उसने अपना घरेलू सामान उक्त हिस्से में रखा था और उस पर ताला लगा दिया था, जिससे उसे उस पर कब्जा प्राप्त हो गया था। दिनांक 27.01.2025 को उन्होंने बंसी स्थित सिविल जज (न्यायिक न्यायाधीश) की न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों को ताला तोड़ने, संपत्ति पर निर्माण कार्य करने या उनके कथित कब्जे में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। आरोप है कि उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद, विक्रेताओं ने ताला तोड़कर घर में दोबारा प्रवेश किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे मार्च तक परिसर खाली कर देंगे। हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन्होंने घर खाली नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 8 ने आगे दावा किया कि उन्होंने विक्रेता श्यामजी से टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 8 को घर का कब्जा सौंपने के लिए उचित आदेश जारी करने हेतु उक्त आवेदन दायर किया गया था। संदर्भ की सुगमता के लिए, आवेदन का अंश नीचे दिया गया है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी मौजा सकारपार, तप्पा बीसो, परगना बांसी पूरब तहसील बांसी थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर स्थित आराजी गाटा सं0-211/0.4310 हे0 में से 0.0063197 हे0 में निर्मित आवासीय मकान का दिनांक 14.02.2024 को श्यामजी व प्रेमजी पुत्रगण गेल्लहई से बैनामा लिया था। उक्तआराजी का नामांतरण दिनांक 27.04.2024 को प्रार्थी के हक में तहसीलदार महोदय बांसी द्वारा किया जा चुका है, जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम खतौनी में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो चुका है। क्रय शुदा मकान में प्रार्थी द्वारा कुछ घरेलू सामान रखकर एवं ताला लगाकर आबाद हो गया। माननीय सिविल जज जू०डि० बांसी द्वारा दिनांक 27.01.2025 को प्रार्थी के मकान का न ताला तोड़े न ही उक्त मकान में कोई निर्माण करें न ही वादी के शांति पूर्ण कब्जा दखल में अवरोध उत्पन्न करें। इसके बावजूद विक्रेता द्वारा उक्त मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और विक्रेतागण द्वारा आज तक उक्त मकान खाली नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा विक्रेता श्यामजी पुत्र गेल्लहई के मोबाइन नं08948358513 पर फोन किये जाने पर उक्त विक्रेता श्यामजी द्वारा न तो प्रार्थी का फोन रिसीव किया जाता है और न ही व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी से सम्पर्क किया जाता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त क्रय शुदा आवासीय मकान पर कब्जा दिलाये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

सादर।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांक-04.05.2025

संलग्नक-याना खेसरहा दिनांकित 02.02.2025

की आख्या

प्रार्थी

संदीप गुप्ता

मोपनं0-9721283848"

21. यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन में प्रतिवादी संख्या 8 ने उस तिथि का खुलासा नहीं किया जिस पर विक्रेताओं ने ताला तोड़कर और कथित रूप से उसे बेचे गए हिस्से में फिर से प्रवेश करके उसे बेदखल कर दिया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 27.01.2025 को अवर न्यायालय से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 8 ने 05.02.2025 को धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुकदमे के प्रतिवादियों ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद ताले तोड़कर बेची गई संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिससे न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन हुआ। उक्त आवेदन का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"उपरोक्त स्थगन आदेश की जानकारी प्रतिवादीगण को हो गयी और वह वादी के अनुपस्थित का लाभ उठाकर दिनांक 02.02.2025 को वादी के मकान अक्षर ABFEA का ताला तोड़कर उसमें जबरन घुस गये और माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन करके बादी दखिल दावे के उद्देश्य को फेल करने पर आमदा है। ऐसी परिस्थित में तहसीलदार बांसी व राजस्व निरीक्षक मय लेखपाल यानाध्यक्ष खेसरहा मय पुलिसबल के साथ बादी के मकान में जो दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण द्वारा ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया है को खाली कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।"

22. उसी दिन, अवर न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और एसएचओ, खेसरहा को दिनांक 27.01.2025 के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उक्त तिथि को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"दिनांक & 05-02-2025

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित मकान में जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किया गया है, इसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति में जबरन कब्जा कर लिया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मामला अर्जेंट है। ऐसे में थानाध्यक्ष खेसरहा को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01. 2025 का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक को 712 पर सुनवायी हेतु पेश हो।

हस्ताक्षर अपठनीय

05.02.2025

सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम०

बांसी, सिद्धार्थनगर।"

23. उसी दिन, अवर न्यायालय ने पुलिस स्टेशन, खेसरहा, जिला सिद्धार्थ नगर के प्रभारी निरीक्षक को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 27.01.2025 के आदेश का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अवर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस इस प्रकार है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मनिस्ट्रेट, बांसी, सिद्धार्थनगर।

नोटिस

बनाम

थाना प्रभारी, खेसरहा, सिद्धार्थनगर।

आपको अवगत कराना है कि मूल वाद संख्या 49/2025 संदीप गुप्ता बनाम श्यामजी आदि में दिनांक 27.01.2025 को प्रतिवादीगण को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त मकान का ताला तोड़कर घर में घुस गये हैं, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है। जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01. 2025 का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे और न्यायालय को अन्दर 03 दिवस में उक्त कार्यवाही से अवगत करी

हस्ताक्षर अपठनीय

दिनांक 05.02.2025

05.02.2025

सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम० बांसी, सिद्धार्थनगर।

संलग्नक आदेश दिनांक 27.01.2025 की एक प्रति।"

24. यह उल्लेखनीय है कि 05.02.2025 को ही, जिस तारीख को धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल किया गया था, उसे एकतरफा रूप से स्वीकार कर लिया गया था। उस तारीख

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं की गई थी। वास्तव में, 27.01.2025 को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते समय, अवर न्यायालय ने प्रतिवादियों को समन जारी किया था और 24.02.2025 को कानूनी समीक्षा के लिए और 06.03.2025 को मुद्दों के निपटारे के लिए निर्धारित किया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय और अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर विचार करने के लिए 10.02.2025 की तारीख निर्धारित करते समय, अवर न्यायालय ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के अनिवार्य प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की। उक्त प्रावधान के तहत, एकतरफा निषेधाज्ञा जारी करने वाले न्यायालय को वादी को निर्देश देना आवश्यक है कि वह प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक द्वारा तत्काल निषेधाज्ञा आवेदन की प्रतियां, सहायक हलफनामे के साथ, वाद पत्र की एक प्रति और दावे पर आधारित दस्तावेजों की प्रतियां भेजे। इसके अलावा, निषेधाज्ञा जारी होने के दिन या उसके तुरंत बाद एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि प्रतियां विधिवत वितरित या भेज दी गई हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने वाले आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें यह राय बनाने का कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया है कि निषेधाज्ञा जारी करने का उद्देश्य विलंब से विफल हो जाएगा। इसके अलावा, अवर न्यायालय वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके तहत प्रतिवादियों को वाद पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है।

25. याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला यह है कि उसे न तो मुकदमे में समन तामील किया गया था और न ही उसे एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी थी, जब तक कि राजस्व अधिकारी और पुलिस दल मौके पर नहीं पहुंचे और प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा नहीं सौंप दिया। एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश दिए जाने की स्थिति में, कानून यह अनिवार्य करता है कि निषेधाज्ञा आवेदन का जल्द से जल्द निपटारा करने का हर संभव प्रयास किया जाए। हालांकि, आदेश पत्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



देखने से पता चलता है कि अगली ही तारीख यानी 10.02.2025 को, अवर न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि क्या प्रतिवादी संख्या 8 ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के परंतुक में निहित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, मामले को 24.02.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया और निषेधाज्ञा को नियमित रूप से बढ़ा दिया। यही प्रक्रिया बाद की तारीखों, अर्थात् 24.02.2025, 06.03.2025, 18.03.2025, 25.03.2025, 24.04.2025, 15.05.2025, 30.05.2025 और 11.07.2025 को भी दोहराई गई। उपरोक्त तारीखों को पारित आदेश नीचे दिए गए हैं:

10/2/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० गाबादीगण दिनांक 24.02.2025 को पेश हो।
॥ नियत तिथि तक प्रभावी।

24/2/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। यादीगण दिनांक 06.03.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।

06/3/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7 गा बादीगण दिनांक 18.03.2025 को पेश हो। ॥ नियत तिथि तक प्रभावी।

18/3/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 25.03.2025 को पेश हो। ॥ नियत तिथि तक प्रभावी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



25/3/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 24.04.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।

24/4/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 15.05.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।

15/5/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।

30/5/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 11.07.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।

11/7/25

पेश हुआ। अधिवक्तागण उपस्थित वास्ते आ०नि० 7ग। वादीगण दिनांक 10.10.2025 को पेश हो। ॥ प्रभावी।"

26. उपरोक्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि अवर न्यायालय ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ण अवहेलना करते हुए सतही ढंग से कार्यवाही की। यह न्यायालय यह कहने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के लिए विवश है कि जिस प्रकार से कार्यवाही की गई, उससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह प्रक्रिया कानून की अज्ञानता के कारण अपनाई गई थी या इससे संबंधित अन्य कारणों से।

27. यह भी उल्लेखनीय है कि 05.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 8 ने अवर न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 02.02.2025 को प्रतिवादियों ने कथित रूप से उसके कब्जे वाले हिस्से के ताले तोड़ दिए और इस प्रकार निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, और इस आधार पर उसने कब्जे की बहाली की मांग की। कथित बेदखली एकतरफा निषेधाज्ञा जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर और अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को समन तामील करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर हुई थी। हालांकि, उक्त आवेदन में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादियों को मुकदमे की समन तामील कराने के लिए कोई कदम उठाया था, जबकि आवेदन दाखिल करने की तारीख तक समन तामील के लिए दी गई अवधि समाप्त हो चुकी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 05.02.2025 के आवेदन में दिए गए कथनों के अनुसार, निषेधाज्ञा मांगने का आधार बनने वाला आशंकापूर्ण आचरण, अर्थात् ताले तोड़कर उक्त भाग में पुनः प्रवेश करना, कथित तौर पर प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा मुकदमे की शुरुआत के समय बताए गए तरीके से घटित हो चुका था।

28. ट्रायल न्यायालय ने दिनांक 28.08.2025 के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत टिप्पणियों में सुप्रीम न्यायालय के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम निखिल एन. गुप्ता और अन्य (2015)10 एससीसी 139 के फैसले और इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के श्री राम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य, 2011(2)एएलजे 187 और श्रीमती जगन्नाथिया बनाम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्टेट ऑफ यू.पी. सचिव गृह, यू.पी. के माध्यम से लखनऊ और अन्य, 2006 (64) एएलआर 330 के फैसलों पर भरोसा करते हुए अपने फैसले को उचित ठहराने का प्रयास किया है।

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ मुंबई (उपरोक्त) मामले में, एक पक्ष, जिसके खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया गया था और जिसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वचन पत्र दाखिल करने की शर्त पर परिसर खाली करने का समय दिया गया था, परिसर खाली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, जब आदेश धारक ने निर्णय देनदार द्वारा वचन पत्र के उल्लंघन की शिकायत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देनदार या किसी तीसरे पक्ष द्वारा कथित तौर पर विवादित परिसर पर कब्जा करने के बावजूद, कब्जे के वारंट को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उक्त मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, सिवाय इसके कि यह इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि न्यायालय को दिए गए वचन पत्र के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय के पास आदेश के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की शक्ति है।

(ख) श्री राम (उपरोक्त) मामले में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में, यह आरोप लगाया गया था कि एक दीवानी मुकदमे में अवर न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा था। याचिकाकर्ता का आदेश XXXIX नियम 2A सीपीसी के तहत आवेदन लंबित बताया गया था। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से जिला प्रशासन को अवर न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देने का अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, जिनमें यह माना गया है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 151 सीपीसी के तहत उपयुक्त आदेश पारित करने में सक्षम है, यह माना गया है कि अवर न्यायालय के पास भी जिला प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। उपरोक्त कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश के प्रवर्तन के लिए अवर न्यायालय में जाने की अनुमति दी और अवर न्यायालय को मामले की जांच करने और पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उक्त निर्णय न्याय के हित में उचित आदेश जारी करने के न्यायालय के अधिकार को मान्यता देता है, बशर्ते पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। वास्तव में, उक्त निर्णय विद्वान अवर न्यायालय के रुख के विपरीत है, क्योंकि वर्तमान मामले में, धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन उसी दिन स्वीकार कर लिया गया था जिस दिन इसे दायर किया गया था और प्रतिवादियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

(ग) **श्रीमती जगन्नाथिया (उपरोक्त)** के मामले में ट्रायल जज द्वारा उद्धृत तीसरे फैसले में भी केवल यही कहा गया है कि एक बार न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया गया है, तो वह अपने आदेश के प्रवर्तन के लिए उचित निर्देश पारित करने के लिए बाध्य है और वह केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकता। उक्त मामले में, ट्रायल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया था और इस आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय में दायर याचिका में भी बरकरार रखा गया था। वादी का मामला यह था कि उसके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद, प्रतिवादी उसके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे थे, और अवर न्यायालय ने अपने आदेश को लागू करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि उसके द्वारा पारित आदेशों को लागू करने का कर्तव्य पुलिस अधिकारियों का है। उक्त संदर्भ में यह माना गया कि अवर न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को, आदेश XXXIX, नियम 2A सीपीसी के तहत प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, तथ्यों के आधार पर पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है, ताकि उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

29. उपयुक्त मामलों में यथास्थिति बहाल करने की अवर न्यायालय की शक्ति विवादित नहीं है। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का कोई औचित्य या अवसर था, विशेषकर अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन न करने और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना।

30. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, आवेदन 05.02.2025 को उस तिथि पर दायर किया गया था जो मुकदमे में निर्धारित नहीं थी। अवर न्यायालय ने उसी तिथि को आवेदन पर विचार किया और इसे एकतरफा रूप से स्वीकार कर लिया। जिस अनुचित जल्दबाजी के साथ आवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकार किया गया, उससे अवर न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई की उपयुक्तता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। न्यायालय को उक्त आवेदन की सूचना प्रतिवादियों को जारी करनी चाहिए थी। इसे कम से कम प्रथम दृष्टया तथ्य-जांच करनी चाहिए थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वादी वास्तव में संपत्ति पर कब्जा रखता था और क्या कथित बेदखली अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिए जाने के बाद हुई थी जिससे उसका उल्लंघन होता हो। यह आवश्यकता इस मामले के तथ्यों में और भी अधिक अनिवार्य थी, जहां अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश एकतरफा, केवल वादी के बयान के आधार पर, बिना किसी आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त किए ही दिया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



31. प्रतिवादी संख्या 8 का स्वीकृत मामला यह है कि अवर न्यायालय के दिनांक 05.02.2025 के आदेश के अनुसरण में, पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें वाद संपत्ति का पुनः कब्जा दिया गया था और उन्होंने पुलिस स्टेशन खेसराहा के एसएचओ को संबोधित करते हुए एक लिखित स्वीकृति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कब्जा बहाल कर दिया गया है। हालांकि, उनके द्वारा दिनांक 14.05.2025 को दायर किए गए बाद के आवेदन में, न तो अतीत में कथित बेदखली का कोई उल्लेख है, न ही अवर न्यायालय के दिनांक 05.02.2025 के आदेश का, और न ही उसके अनुसरण में 07.02.2025 को कथित कब्जे की बहाली का। याचिकाकर्ता दिनांक 05.02.2025 के आदेश के अनुसरण में किसी भी बेदखली की शिकायत नहीं करती है। इसके विपरीत, वह स्पष्ट रूप से इनकार करती है कि प्रतिवादी संख्या 8 को कभी भी वाद संपत्ति का कब्जा दिया गया था। उन्होंने 2 फरवरी 2025 को ताले तोड़ने के आरोप के साथ-साथ 5 फरवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 8 को कथित रूप से कब्जा वापस सौंपने के आरोप का भी स्पष्ट रूप से खंडन किया है।

32. इस मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 8 का विशिष्ट मामला यह था कि वह मुकदमा दायर करने की तिथि पर संपत्ति पर कब्जे में था और इसी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन इस आरोप पर आधारित था कि प्रतिवादियों द्वारा ताले तोड़कर वादी/प्रतिवादी संख्या 8 को बेदखल करने की धमकी थी और अवर न्यायालय ने इसे सच मानते हुए एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी कर दी थी। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 8 का उपरोक्त कथन वर्तमान रिट याचिका में दायर संक्षिप्त प्रति-हलफनामे के पैराग्राफ-7 में उनके द्वारा दिए गए कथनों से पूरी तरह से गलत साबित होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संपत्ति खरीदने और उस पर कब्जा मिलने के बाद उन्हें पता चला कि घर के सह-मालिकों, अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, ने ताला तोड़कर उनके द्वारा खरीदे गए हिस्से में प्रवेश किया था, जिसके कारण उन्हें मुकदमा दायर करना पड़ा। प्रतिवादी संख्या 8 के संक्षिप्त प्रतिवाद हलफनामे का पैराग्राफ-7 निम्नलिखित है:

“7. यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि प्रतिवादी संत कबीर नगर जिले का स्थायी निवासी है और सिद्धार्थ नगर जिले में नौकरी करता है, इसलिए वह विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदे गए उक्त मकान में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है, और तदनुसार प्रतिवादी ने प्रश्नगत संपत्ति पर ताला लगा दिया है, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिवादी को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता सहित अन्य सह-मालिकों ने ताला तोड़कर खरीदे गए कमरे में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद प्रतिवादी ने वाद संख्या 49/2025 संदीप गुप्ता बनाम श्यामजी और अन्य दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों को वादी के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने और प्रश्नगत संपत्ति पर लगे ताले को न तोड़ने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है।”

33. प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दिनांक 14.05.2025 को पुलिस के समक्ष दायर किए गए आवेदन पर पुनः विचार करते हुए, जिसमें उन्हें संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए उचित आदेश मांगे गए थे, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त आवेदन को इंस्पेक्टर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन खेसराहा, जिला सिद्धार्थनगर को दिनांक 16.05.2025 को अग्रेषित किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसी दिन पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पर, इंस्पेक्टर इंचार्ज, सकारपार, पुलिस स्टेशन खेसराहा ने अपनी रिपोर्ट उप-विभागीय अधिकारी, बंसी को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 8 अपने पक्ष में विक्रय विलेख के आधार पर संपत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं कर सका और तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 8 को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कब्ज़ा सौंपने के लिए एक संयुक्त टीम गठित करने का अनुरोध किया गया था। उक्त रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"सेवा में,

श्रीमान् उपजिलाधिकारी बांसी महोदय,

जनपद सिद्धार्थनगरा

महोदय,

सादर निवेदन है कि आवेदक संदीप गुप्ता पुत्र रामप्रसाद सा० गोवापार थाना घनघटा जनपद सन्तकबीर नगर के द्वारा गाटा सं०-211/0.4310 हे० में से 0.0063197 हे० में निर्मित आवासीय मकान मौजा स्थित सकारपार में श्यामजी पुत्र गेल्हई सा० टिकूर याना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर से दिनांक 14.02.2024 को बैनामा लिये जो दिनांक 27.04.2024 को नामान्तरण हो चुका है। उक्त मकान का कब्ज़ा आवेदक उपरोक्त को नहीं मिल पाया है। उक्त मकान में प्रतिवादी श्यामजी पुत्र गेल्हई उपरोक्त अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उक्त मकान का कब्ज़ा दिलाने हेतु आवेदक उपरोक्त द्वारा दिनांक 16.05.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक सि०नगर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मूल वाद सं०49/2025 संदीप बनाम श्यामजी मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2025 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अतः महोदय से निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त का उक्त मकान का कब्जा दिलाने हेतु संयुक्त टीम गठन करने की कृपा की जाय। जिससे उक्त प्रकरण में समस्या का समाधान कराया जा सके। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

ह० / अपठनीय

28.05.2025

राकेश त्रिपाठी

चौकी प्रभारी सकारपार

थाना खेसरहा

जनपद सिद्धार्थनगर

34. रिपोर्ट में दिनांक 27.01.2025 के एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश का सहारा लिया गया है, यह ध्यान में रखे बिना कि उक्त आदेश निषेधात्मक था, न कि प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सौंपने के लिए, यदि वह पहले से कब्जे में नहीं था। दिनांक 05.02.2025 के अवर न्यायालय के आदेश का भी कोई उल्लेख नहीं है, संभवतः इस कारण से कि उक्त आदेश के कथित अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा पहले ही बहाल कर दिया गया था और इसलिए, उक्त आदेश समाप्त हो चुका था। दूसरी ओर, रिपोर्ट याचिकाकर्ता के इस कथन को पुष्ट करती है कि प्रतिवादी संख्या 8 कथित विक्रय विलेख के आधार पर कभी भी घर के वास्तविक भौतिक कब्जे में नहीं आया। यह स्वीकार किया जाता है कि अवर न्यायालय का कोई नया आदेश नहीं था जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 8 को घर का कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया हो। अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पूरी तरह से निषेधात्मक था, न कि अनिवार्य। इसलिए, सकारपार चौकी प्रभारी ने प्रतिवादी संख्या 8 के अनुरोध के आधार पर ही एसडीओ से प्रतिवादी अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 8 को कब्जा सौंपने के लिए संयुक्त टीम गठित करने का अनुरोध करके स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया।

35. एसडीएम द्वारा दिनांक 25.06.2025 को तहसीलदार को जारी किया गया निर्देश, जिसमें संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश था, और उसके बाद तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.07.2025 को नायब तहसीलदार को जारी किया गया आदेश, तथा दिनांक __ जुलाई 2025 का कार्यालय आदेश, जिसके द्वारा राजस्व अधिकारियों की एक टीम का गठन प्रतिवादी संख्या 8 को संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए किया गया था, क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सौंपने के लिए राजस्व टीम का गठन करके अपने अधिकार और क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।

36. यद्यपि प्रतिवादी संख्या 8 का नाम राजस्व अभिलेखों में विक्रेताओं के स्थान पर दर्ज किया गया है, लेकिन उनका नाम अन्य सह-किरायेदारों के साथ संयुक्त रूप से दर्ज है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जोत का कोई विभाजन नहीं हुआ है। मौखिक विभाजन का सिद्धांत प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा पहली बार संक्षिप्त प्रति-हलफनामे में उठाया गया है। कब्जे के दस्तावेज खसरा की प्रति भी न तो मुकदमे में और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त स्थिति में, यदि हम दिनांक 27.01.2025 के एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश के गुण-दोषों पर विचार न भी करें, तो भी हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अवर न्यायालय ने दिनांक 2.02.2025 को धारा 151 सीपीसी के तहत कब्जे की बहाली के लिए आवेदन पर विचार करने और उसी तिथि पर एकतरफा रूप से उक्त आवेदन को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से अवैध और महत्वपूर्ण अनियमिततापूर्ण तरीके से कार्य किया है। कम से कम अवर न्यायालय को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उक्त आवेदन की सूचना प्रतिवादियों को जारी करनी चाहिए थी और उन्हें इसका विरोध करने का अवसर देना चाहिए था। किसी भी स्थिति में, अवर न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं थी।

37. इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि दिनांक 05.02.2025 के आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 8 उस तारीख को वाद संपत्ति पर कब्जे में था जिस दिन निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था, और न ही उस तारीख के संबंध में कोई निष्कर्ष है जिस दिन कथित बेदखली हुई थी। इन निष्कर्षों के अभाव में, अवर न्यायालय का यथास्थिति बहाल करने के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पूरी तरह से अवैध है।

38. हम पाते हैं कि अवर न्यायालय ने दिनांक 05.02.2025 का आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सौंपने के लिए राजस्व दल गठित करने और उसके बाद उक्त दल के माध्यम से याचिकाकर्ता सहित प्रतिवादियों को वाद संपत्ति से बेदखल करने में समान रूप से गलती की है। यह प्रशासनिक शक्तियों का घोर दुरुपयोग है और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मामले की जल्दबाजी से अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह पैदा होता है। परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से प्रशासनिक पक्ष की जाँच की आवश्यकता दर्शाती हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



39. जैसा कि हमने पाया है कि अवर न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों ने याचिकाकर्ता को बेदखल करने में पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कार्य किया है, इसलिए, हम इस निवेदन को स्वीकार करने से इनकार नहीं करते हैं कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और याचिकाकर्ता को आपत्ति दर्ज करने और अवर न्यायालय के समक्ष उचित राहत की प्रार्थना करने के वैकल्पिक उपाय का सहारा लेने के लिए कहा जाना चाहिए।

40. तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिका का **निस्तारण** करते हैं:

क) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे विवादित संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्ता और अन्य सह-भागीदारों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने और सूचना मिलने की तिथि से 48 घंटों के भीतर सौंप दें।

ख) इस आदेश की प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखी जाए और यदि उचित समझा जाए तो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच शुरू करने के लिए उचित आदेश पारित किए जाएं, जिन्होंने दिनांक 05.02.2025 का आदेश पारित किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ग) जहां तक प्रतिवादी संख्या 8, जो सिद्धार्थनगर जिला न्यायाधीश कार्यालय के कर्मचारी हैं, का संबंध है, इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए रखा जाए।

घ) याचिकाकर्ता 1,00,000/- रुपये की लागत की हकदार होगी, जिसका भुगतान प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा याचिकाकर्ता के अवैध निष्कासन और याचिकाकर्ता तथा उसके तीन नाबालिग बच्चों द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 8 उक्त राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करेगा, ऐसा न करने पर प्रतिवादी संख्या 2 तत्काल उक्त राशि की वसूली के लिए भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रतिवादी संख्या 8 से इसकी वसूली सुनिश्चित करेगा तथा याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर इसका भुगतान सुनिश्चित करेगा।

दिनांक: 05 जनवरी, 2026

मुकेश कुमार/अंकित/जी.पी.

(अरुण कुमार, न्यायमूर्ति) (मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"